आयोजनागत

संख्या-33/2016/1732/18-4-2016-27(विविध)/15टी0सी0।।

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव/अपर निर्यात आयुक्त,
उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद,
निर्यात भवन, 8 कैण्ट रोड़ कैसरबाग,
लखनऊ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर,2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद के पंजीयन हेतु पेडअप कैपिटल के रूप में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद के पंजीयन हेतु पेडअप कैपिटल हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) मात्र की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

4- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

5- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6-प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

7- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

8- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-"4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-07-कम्पनी एक्ट 2013 के अंतर्गत उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद के पंजीयन हेतु पेडअप कैपिटल-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2016-बी-2-1275/दस-2016-244/2016, दिनांक 29-08-2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-1732(1)/18-4-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)/सी0ए0एस0एस00-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0, कानपुर।
5-कोषाधिकारी, लखनऊ ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- अपर आयुक्त उद्योग/संयुक्त निर्यात आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in